न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) झुंझुनूं जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– सुप्रिया (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :– 683 / 2024

निर्णय दिनांक :– 08/09/25

1. भूरी देवी पत्नी द्वारका प्रसाद
2. अमर सिंह पुत्र द्वारका प्रसाद
3. सुरेश पुत्र द्वारका प्रसाद
   समस्त जाति जाट निवासी सीथल तन बडागांव जिला झुंझुनूं।

– वादीगण

बनाम

1. अणची पत्नी मनीराम जाति जाट निवासी सीथल तन बडागांव जिला झुंझुनूं राज.। (फौत) इसका वारिस नरेश पुत्र मनीराम है जो जमाबन्दी क्रमांक 10 पर दर्ज है व इसका वारिस है।
2. इन्द्राज सिंह पुत्र चोखा जाति जाट निवासी सीथल तन बडागांव जिला झुंझुनूं राज.।
3. ओमप्रकाश पुत्र बहादुर सिंह जाति जाट निवासी सीथल तन बडागांव जिला झुंझुनूं।
4. करणसिह पुत्र श्री चोखा जाति जाट निवासी सीथल तन बडागांव जिला झुंझुनूं।
5. कैलाश चन्द्र पुत्र तारू जाति जाट निवासी सीथल तन बडागांव जिला झुंझुनूं।
6. दलीप सिंह पुत्र रामेश्वरदयाल जाति जाट निवासी सीथल तन बडागांव जिला झुंझुनूं।
7. धर्मपाल पुत्र होशियार सिंह जाति जाट निवासी सीथल तन बडागांव जिला झुंझुनूं।
8. नरेश कुमार पुत्र बहादुर जाति जाट निवासी सीथल तन बडागांव जिला झुंझुनूं।
9. नरेश कुमार पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी सीथल तन बडागांव जिला झुंझुनूं।
10. नरोतम लाल पुत्र तारू जाति जाट निवासी सीथल तन बडागांव जिला झुंझुनूं।
11. पंकज पुत्री रामनिवास जाति जाट निवासी सीथल तन बडागांव जिला झुंझुनूं।
12. प्रतासी देवी पत्नी होशियार सिंह जाति जाट निवासी सीथल तन बडागांव जिला झुंझुनूं।
13. विमला पुत्री होशियार सिंह जाति जाट निवासी मोई।
14. बिहारीलाल पुत्र तारू जाति जाट निवासी सीथल तन बडागांव जिला झुंझुनूं।
15. महेन्द्र सिंह पुत्र रामेश्वरदयाल जाति जाट निवासी सीथल तन बडागांव जिला झुंझुनूं।
16. मोहनलाल पुत्र तारू जाति जाट निवासी सीथल तन बडागांव जिला झुंझुनूं।
17. रूकमा देवी पुत्री किस्तुरी जाति जाट निवासी ग्राम पातुसरी
18. राकेश कुमार पुत्र रामनिवास जाति जाट निवासी सीथल तन बडागांव जिला झुंझुनूं।
19. राजकुमार पुत्र रामनिवास जाति जाट निवासी सीथल तन बडागांव जिला झुंझुनूं।
20. राजपाल पुत्र चोखा जाति जाट निवासी सीथल तन बडागांव जिला झुंझुनूं।
21. रामनिवास पुत्र होशियार सिंह जाति जाट निवासी सीथल तन बडागांव जिला झुंझुनूं।
22. विनोद कुमार पुत्र होशियार सिंह जाति जाट निवासी सीथल तन बडागांव जिला झुंझुनूं।
23. विमला देवी पत्नी रामनिवास जाति जाट निवासी सीथल तन बडागांव जिला झुंझुनूं।
24. श्रवण पुत्र चोखा जाति जाट निवासी सीथल तन बडागांव जिला झुंझुनूं।
25. श्रवण कुमार पुत्र बहादुर सिंह जाति जाट निवासी सीथल तन बडागांव जिला झुंझुनूं।

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

26. श्रवणी पुत्री रामेश्वरदयाल जाति जाट निवासी चारास।
27. शांति पुत्री श्योला जाति जाट निवासी झाझड़िया की ढाणी, छऊ तहसील उदयपुरवाटी।
28. शांति देवी पत्नी बहादुर सिंह जाति जाति जाट निवासी सीथल तन बडागांव जिला झुंझुनूं।
29. शांति देवी पत्नी रामेश्वरदयाल जाति जाट निवासी सीथल तन बडागांव जिला झुंझुनूं। (फौत) इनके वारिस जमाबन्दी क्रमांक 7, 17, 28 पर दर्ज है।
30. सुनिता पुत्री होशियार सिंह जाति जाट निवासी गांव मोई।
31. सुभाष चन्द्र पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी सीथल तन बडागांव जिला झुंझुनूं।
32. सरदारा पुत्र श्योला जाति जाट निवासी सीथल तन बडागांव जिला झुंझुनूं। (दौराने दावा मृतक)
   32/1. बनारसी पत्नी सरदारा जाति जाट निवासी सीथल तन बडागांव जिला झुंझुनूं।
   32/2. इमरती पत्नी सरदारा जाति जाट निवासी सीथल तन बडागांव जिला झुंझुनूं।
33. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।

वकील वादीगण :– एडवोकेट विद्याधर सिंह जाखड़ व ममता चौधरी।
वकील प्रतिवादीगण :– कोई उपस्थित नहीं।

दावा घोषणार्थ, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

संक्षेप में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम सीथल की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 220 रकबा 0.0200 है0, खसरा नम्बर 221 रकबा 0.5100 है0, खसरा नम्बर 222 रकबा 0.4900 है0, खसरा नम्बर 223 रकबा 0.8900 है0, खसरा नम्बर 224 रकबा 0.0100 है0, खसरा नम्बर 225 रकबा 0.0500 है0, खसरा नम्बर 226 रकबा 1.0200 है0, खसरा नम्बर 304 रकबा 0.5600 है0 व खसरा नम्बर 305 रकबा 0.5500 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 4.1000 है0 भूमि स्थित है। उक्त भूमि में दर्ज खातेदारी के अनुसार सभी का हक हिस्सा है और सभी सहखातेदार काश्तकार है लेकिन खाता शामलाती है विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है इसलिए विधिवत् विभाजन के लिये उक्त वाद श्रीमान्जी की सेवा में पेश किया जा रहा है। वाद पत्र में वर्णित भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 कैलाश प्रतिवादी संख्या 9 नरेश कुमार, प्रतिवादी संख्या 10 नरोतमलाल, अंनि भूरी देवी प्रतिवादी संख्या 14 बिहारीलाल, प्रतिवादी संख्या 16 मोहनलाल वादीगण के परिवार के है खातेदारी में उनका भी बराबर हिस्सा है। लेकिन इन प्रतिवादीगण को उनके हिस्से की भूमि दूसरे खसरा नम्बर 537 रकबा 1.2400 है0, खसरा नम्बर 539 रकबा 3.9400 है0, खसरा नम्बर 559 रकबा 1.2400 है0, खसरा नम्बर 559 रकबा 1.2400 है0, खसरा नम्बर 560 रकबा 1.3200 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 7.74 है0 में इनका हिस्सा दे दिया, भाईबट में इन्हीं खसरा नम्बर पर वह काबिज है वर्तमान दावे में वर्णित भूमि में भाईबट के अनुसार उनका कोई हक, हिस्सा व कब्जा नहीं हैं। उक्त पुरा हिस्सा ही जो तारूराम से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5, 9, 10, 14 व 16 के हिस्से में आया है वादीगण के हिस्से का है इसलिए इन खसरा नम्बर में से प्रतिवादीगण संख्या 5, 9, 10, 14 व 16 का नाम हजफ किया जावे और तारूराम के पुरे हिस्से की भूमि का वादीगण को ही खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, जिसके लिये उक्त वाद श्रीमान्जी की सेवामें पेश है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 32/2 की वाद पत्र में वर्णित भूमि संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

भूमि है लेकिन इन्होंने भी बाहमी बंटवारा कर रखा है जिसमें वादीगण के हिस्से में खसरा नम्बर रकबा 0.4900है0 हिस्से में आई वादीगण का इसी पर कब्जा है इसी को लाटते हैं इसी को ही काश्त करते है इसलिए विधिवत् बंटवारा किया जाकर उक्त हिस्सा वादीगण के हिस्सें में दिया जाकर उक्त हिस्सा वादीगण के हिस्से में दिया जाकर वादीगण को इस खसरा नम्बर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और शेष खसरा नम्बर के खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 32/2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, जिसके लिए उक्त वाद श्रीमान् की सेवामें पेश है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या में काफी हो गये इसलिए सहहिस्सेदारी काश्त की भूमि के सामुहिक विकास, काश्त आदि में सहमति नहीं बनती है न ही सरकारी सुविधा का फायदा सहखातेदार काश्तकार प्राप्त कर सकते है, काफी असुविधा होती है। प्रतिवादीगण को साथ चलकर खाता विभाजन करवाने के लिये कहा तो सबका एक साथ चलकर खाता विभाजन करवाना संभव नहीं रहा और अंतिम रूप से दिनांक 16.05.2023 को हिस्सेदारों ने कह दिया कि न्यायालय में दावा करके और अखबार में तामिल चस्पा करके विधिवत् विभाजन करवा लिया जावे, हमें कोई एतराज नहीं है। इसलिए वादीगण उक्त वाद विभाजन के लिए श्रीमान्जी की सेवा में पेश कर रहे हैं। अन्त में वाद बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण वाद पत्र की धारा 3 में वर्णित प्रकार से भूमि का लगान का विधिवत् विभाजन किया जकार लैण्डलोर्ड को आदेश दिया जावे कि राजस्व रिकॉर्ड में भी विभाजन के अनुसार अंकन करे।

उपरोक्तानुसार दावा पेश होने पर इस न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियानुसार दिनांक 02.01.2025 को वाद वादीगण प्राथमिक तौर पर स्वीकार किया जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किया गया तथा तहसीलदार गुढागौड़जी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2025/2528 दिनांक 06.08.2025 के द्वारा इस न्यायालय में भिजवाये गये। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण को बहस पत्रावली पर सुना गया। अधिवक्ता ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की। बाद अवलोकन पत्रावली व बगौर मनन बहस वाद वादी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: निर्णय :—

वाद वादीगण सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा वाके ग्राम सीथल की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 220 रकबा 0.0200 है0, खसरा नम्बर 221 रकबा 0.5100 है0, खसरा नम्बर 222 रकबा 0.4900 है0, खसरा नम्बर 223 रकबा 0.8900 है0, खसरा नम्बर 224 रकबा 0.0100 है0, खसरा नम्बर 225 रकबा 0.0500 है0, खसरा नम्बर 226 रकबा 1.0200 है0, खसरा नम्बर 304 रकबा 0.5600 है0 व खसरा नम्बर 305 रकबा 0.5500 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 4.1000 है0 भूमि बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक भू0अ0/2025/2528 दिनांक 06.08.2025 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना—अपना

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

न करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा बाद
मील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08/09/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया
गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुन्झुनू

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) झुन्झुनू जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुप्रिया आर.ए.एस.

उनवान भूरी देवी वगैरह बनाम अणची देवी वगैरह

दावा बाबत् घोषणार्थ, विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. : 683/2024

निर्णय दिनांक : 08/09/25

वादीगण की ओर से अधिवक्ता विद्याधर जाखड व ममता चौधरी की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 08/09/25 को सुप्रिया, सहायक कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादीगण सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा वाके ग्राम सीथल की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 220 रकबा 0.0200 है0, खसरा नम्बर 221 रकबा 0.5100 है0, खसरा नम्बर 222 रकबा 0.4900 है0, खसरा नम्बर 223 रकबा 0.8900 है0, खसरा नम्बर 224 रकबा 0.0100 है0, खसरा नम्बर 225 रकबा 0.0500 है0, खसरा नम्बर 226 रकबा 1.0200 है0, खसरा नम्बर 304 रकबा 0.5600 है0 व खसरा नम्बर 305 रकबा 0.5500 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 4.1000 है0 भूमि बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक भू0अ0/2025/2528 दिनांक 06.08.2025 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/09/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुन्झुनू
सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	6	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	2	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिशनर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	
		मुतफरिक	
योग	8	योग	

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुन्झुनूं
सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)